

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

पशु आहार संयंत्र सिरोंजा जिला सागर(म.प्र.)

**दो वर्ष हेतु सुदाना परिवहन
ई-निविदा**

अवधि 06 / 07 / 2020 से 05 / 07 / 2022 तक

(इकाई—बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर)

सिरोंजा सागर दूरभाष क्र0 9179098046

E- Mail :cfpsagar@gmail.com

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर इकाई पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

Phone :9179098046

E-mail : cfpsagar@gmail.com

દો વર્ષ હેતુ સુદાના પરિવહન ઈ-નિવિદા :

क्रमांक / 3042 / प.आ.सं / सिरौंजा / 2020 सागर, दिनांक:— 04 / 07 / 2020

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की इकाई पशु आहार संयंत्र, सिरौंजा जिला सागर में दो वर्ष की अवधि के लिये सुदाना परिवहन हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता राशि रु 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) का ऑनलाइन भुगतान कर ई-टेंडरिंग वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर दिनांक 06/07/2020 प्रातः 12:00 बजे से दिनांक 28/07/2020 दोपहर 13:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं। निविदा अपलोड करने का अंतिम समय दिनांक 28/07/2020 दोपहर 13:00 बजे तक है। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाइट www.mpcdf.nic.in पर पठन हेतु उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, सागर- 470001

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

—: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :—

सुदाना परिवहन

क्र0	विवरण	समय एवं दिनांक
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की तिथि एवं समय	06 / 07 / 2020 प्रातः12:00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	28 / 07 / 2020 दोपहर 13:00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	28 / 07 / 2020 दोपहर 13:00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा दस्तावेज ऑफलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय (केवल तकनीकी प्रपत्र ऑफलाइन जमा करें)	28 / 07 / 2020 दोपहर 15:00 बजे तक
5	तकनीकी निविदा समिति के समक्ष खोलने की तिथि एवं समय	29 / 07 / 2020 दोपहर 15:30 बजे

निविदा खोलने का स्थान :— पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, सागर (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र की कीमत :— रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) क्रेडिटकार्ड/डेविटकार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा क्रय किये जावे जो वापसी योग्य नहीं।

अमानत राशि :— रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।

प्रतिभूति राशि :— रुपये 2,75,000/- (रुपये दो लाख पचहत्तर मात्र) अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** के पक्ष में देय हो सलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :— शर्त क्र0 10 अनुसार मांगे गये दस्तावेज तकनीकी निविदा दिनांक एवं समय से पूर्व बन्द लिफाफे में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रभारी महाप्रबंधक

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

—: पशु आहार परिवहन की शर्तें :-

1. पशु आहार, सुदाना परिवहन निविदा की दरें ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार होंगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावें।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें “रूपया प्रति मैट्रेन”(One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होंगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेंगे।
5. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रों/संयंत्रों पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप (विलटी) जिस पर गंतव्य स्थान गाड़ी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नहीं किया जावेगा। यदि गाड़ी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते हैं तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक झायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।

7. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर **₹ 1000/- (₹ 0 एक हजार मात्र)** का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।
8. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुँचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुँचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
9. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुँच जावेगा, इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
10. परिवहनकर्ता के वाहन का आरटी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास स्वयं के या फर्म के तीन वाहन (ट्रक) होना आवश्यक है एवं पशु आहार की मांग अनुसार 10 मे.टन, 12 मे.टन, 15 मे.टन, 20 मे.टन, 22 मे.टन एवं 24 मे.टन के लोडिंग ट्रक उपलब्ध करना होगा।
11. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा है, उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाढ़ी) अच्छी हालत में होना चाहिये, पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने करने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
12. पशु आहार संयंत्र ट्रक लोडिंग की दरें ठेकाश्रमिक व्यवस्था में लोडिंग की स्वीकृत दरों पर की जायेगी। जिसका भुगतान ट्रॉसपोर्टर को करना होगा। इसके पश्चात् दुग्ध शीत केन्द्रों पर ट्रक अनलोडिंग की व्यवस्था ट्रॉसपोर्टर द्वारा की जायेगी एवं दुग्ध शीत केन्द्र पर हम्मालों को देय राशि का भुगतान एवं हम्मालों की व्यवस्था ट्रॉसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी। दुग्ध शीत केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हम्मालों की व्यवस्था नहीं की जायेगी एवं अनलोडिंग की दरें भी निश्चित नहीं की जा सकेंगी। वर्तमान में म.प्र. शासन द्वारा नई गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें पशु आहार परिवहन हेतु दरें वर्तमान में समान दूरी पर स्थित गौशालाओं अथवा दुग्धशीत केन्द्रों की स्वीकृत दरों पर पशु आहार परिवहन की व्यवस्था करना ट्रॉसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
13. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।

14. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मैटन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रुपया/लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

<u>क्रमांक</u>	<u>वाहन का प्रकार</u>	<u>औसत प्रति लीटर</u>
01	ट्रक,	04 कि.मी

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी। निविदा से सम्बंधित किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता निविदाकार को हो तो वह प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र से प्राप्त कर सकता है। निविदा में भाग लेने का अर्थ है कि निविदाकार द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। निविदा में दरें स्वीकृत होने पर कार्य आदेश प्राप्ति पर यदि परिवहन कार्य नहीं किया जाता है तो निविदाकार की EMD राशि राजसात कर ली जायेगी एवं भविष्य में होने वाली समस्त निविदाओं से काली सूची में डाल दिया जायेगा।

15. पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, सागर से गौशालाओं को पशु आहार की व्यवस्था की जा रही है। उक्त पशु आहार प्रदाय की समान्यतः मात्रा 3 मैटन से 10 मैटन तक होती है। इसलिए निविदाकर्ता को गौशाला में पशु आहार व्यवस्था हेतु एक लोडिंग वाहन जिसकी क्षमता 10 मैटन हो तथा वाहन को लगाने की दरें किलोमीटर में भरनी होगी। यदि इसकी दरें निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं यदि दो या अधिक दुग्ध शीत केन्द्र एवं गौशालाएँ एक ही रुट पर हैं तो ट्रॉसपोर्टर को एक ही ट्रक द्वारा डिमाण्ड अनुसार उक्त दुग्ध शीत केन्द्रों एवं गौशालाओं पर पशु आहार परिवहन करना होगा।
16. सभी दुग्ध शीत केन्द्रों में 12 मैटन से 25 मैटन पशु आहार की मात्रा परिवहन की जाती है। डिमाण्ड की मात्रा घटती या बढ़ती रहती है इस स्थिति में किसी भी चिलिंग सेंटर के लिए पशु आहार की मांग निर्धारित नहीं की जा सकती। अतः परिवहनकर्ता को डिमाण्ड के अनुसार ही वाहन उपलब्ध कराना होगा।
17. अनुबंध की अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होगी तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर(म.प्र.) द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तों पर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।
18. उभय पक्षों द्वारा दो माह की पूर्व सूचना के उपरांत यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
19. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीत केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा और हम्मालों की व्यवस्था भी ट्रॉसपोर्टर को करनी होगी।
20. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जबाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी।

21. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए।
22. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा।
23. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
24. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये **25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)** **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** को देय ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पशु आहार संयंत्र के खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से अर्नेस्ट मनी जमा करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. निविदा अस्वीकृत होने पर अर्नेस्ट मनी की वापसी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में 30 दिनों पश्चात् ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वापस की जा सकेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
26. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को संलग्न शर्तों के तहत अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसमें प्रतिभूति राशि रूपये **2,75,000/- CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** के नाम डी.डी. द्वारा जमा होगी। निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि जमा न करने पर निविदा निरस्त की जायेगी एवं **EMD** राशि राजसात कर ली जायेगी।
27. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।
28. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्यालय नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म “भारतीय भागीदार अधिनियम” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
29. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
30. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना, सुदाना सुपर में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।

31. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
32. दुर्घ शीत केन्द्रों/दुर्घ समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयकों का भुगतान किया जावेगा। निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर पशु आहार पर लोडिंग परिवहनकर्ता के देयकों से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर कटौत्रा किया जावेगा।
33. परिवहनकर्ता के देयकों से शासन के नियमानुसार आयकर, सर्विस एवं स्वच्छता कर तथा समय—समय पर लगने वाले अन्य करों आदि का कटौत्रा किया जावेगा।
34. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुर्घ संस्था के टैक्टर—ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।
35. सुदाना भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जबाबदार रहेंगे।
36. उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता को काली सूची में सूचीवद्ध किया जावेगा।
37. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता जबाबदार होगा।
38. समस्त अदालती विवाद सागर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
39. परिवहनकर्ता द्वारा **GST** रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
40. अवकाश के दिनों में या अपरिहार्य कारणों से दुर्घ समितियों पर पशु आहार अनलोडिंग में देरी होती है तो दुर्घ संघ द्वारा परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का हल्टिंग चार्ज नहीं दिया जायेगा।
41. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुर्घ संघ मर्यादित, सागर(म.प्र.) को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई, अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

42. यदि निविदाकर्ता द्वारा दरें स्वीकृत करने के पश्चात् परिवहन कार्य नहीं किया जाता है तो उक्त निविदाकर्ता की अमानत राशि, सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी एवं उक्त निविदाकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर पशु आहार संयंत्र की भविष्य में होने वाली समस्त परिवहन निविदा में प्रतिबंध लगाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।
43. परिवहनकर्ता के उक्त वाहन स्वयं के रजिस्टर होने चाहिए या अनुबंधित होना चाहिए अनुबंध की स्थिति में अनुबंधित वाहन की पार्टनर शिप होना अनिवार्य है एवं इसकी स्वच्छ प्रतिलिपि तकनीकि निविदा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
44. परिवहनकर्ता के समस्त दस्तावेज की स्वच्छ प्रतिलिपियाँ तकनीकि निविदा के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं समिति यदि चाहे तो उक्त प्रतिलिपियों के मिलान हेतु ऑरिजनल डाक्यूमेंट भी मंगा सकती है।
45. दुग्ध शीत केन्द्रों/संयंत्रों से सुदाना की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य सुदाना, एवं सुदाना सुपर की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।
46. परिवहनकर्ता द्वारा पशु आहार पहुँचाने के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु परिवहनकर्ता के देयक बिलों से पशु आहार की राशि (पशु आहार एक्स फैक्ट्री) दर से परिवहनकर्ता के देयकों से काटी जायेगी। यदि राशि देयकों की राशि से अधिक है तो परिवहन की सुरक्षानिधि से क्षतिपूर्ति की जायेगी। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगी।
47. यदि एक ही रुट पर दो या अधिक दुग्ध शीत केन्द्र हैं तो मॉग अनुसार एक ट्रक पशु आहार परिवहन हेतु परिवहनकर्ता को वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जो कि आवश्यकतानुसार दुग्ध शीत केन्द्रों पर मॉग अनुरूप पशु आहार उपलब्ध करायेगा।
48. परिवहनकर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30 / 31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र सिरोंजा सागर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समस्त करों का कटौत्रा कर किया जावेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा बिल बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाते हैं तो बिलों के भुगतान में देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे। ट्रांसपोर्ट बिल हेतु बिल के साथ डीजल की वास्तविक दरें प्रस्तुत करने पर ही बिलों को भुगतान हेतु प्रक्रिया में लाया जायेगा।
49. सभी सेन्टरों हेतु दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी भी एक सेन्टर पर दरें प्रस्तुत नहीं की जाने पर आपकी निविदा स्वयं निरस्त मानी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सह. दुग्ध संघ मर्या. सागर

क्र०	दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध संस्था	अनुमानि त दूरी (किमी०)	दरें प्रति मैट्रन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करें
1	रतौना (सागर)	18	
2	मिनौरा (टीकमगढ़)	134	
3	खुरई (सागर)	65	
4	गढ़ाधाट (सागर)	60	
5	तेन्दूखेडा (दमोह)	139	
6	पचामा सीहोर	204	
7	मांगलिया इंदौर	360	
8	बण्डोल	248	
9	शिवपुरी	293	
10	शाहगढ़	75	
11	पॉजरा (बरेली)	138	
12	टीकमगढ़	134	
13	गैरतगंज	95	
14	राजनगर	200	
15	पचमा गंजवासौदा	130	
16	छत्तरपुर	164	
17	सिलवानी (रायसेन)	130	
18	श्योपुर	405	
19	दबोह	360	
20	अजयगढ़	264	
21	लटेरी	140	
22	पन्ना	235	
23	जतारा	173	
24	हटा	135	
25	विदिशा	111	
26	मकरोनिया	12	
27	सुहागपुर	200	
28	कीरतपुर	220	
29	नई गल्ला मण्डी सागर	35	
30	बिगवा (बैतूल)	442	
31	भड़राना/चील पहाड़ी	45	
32	कनेरा नीखर	55	
33	बरेली (रायसेन)	130	
34	र्यारसपुर (विदिशा)	90	

35	रुरावन	50	
36	चौरई	35	
37	बैतूल	400	
38	गुना	230	
39	मुलताई	450	
40	सिहोरा (सागर)	35	
41	गौसेवा संघ गौशाला सिलेरा 301 रविशंकर वार्ड सागर	45	
42	आ. विद्यासागर गौसंवर्धन केन्द्र लेहदरा नाका/रतौना	18	
43	मधुवन गौवंश संरक्षण समिति मधुवन(श्री कृष्ण गौशाला) केन्द्रिय जेल	10	
44	दयोदय जीव रक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान खुरई नवोदय स्कूल के सामने पठारी रोड खुरई	85	
45	दयोदय पशु सेवा केन्द्र खिमलासा तह. खुरई	88	
46	आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार केन्द्र गांधी मूर्ति के सामने बंडा (बेलई)	40	
47	दयोदय पशु सेवा केन्द्र एवं पर्यावरण संरक्षण सदन बीनाजी बारहा देवरी	72	
48	श्री विद्यासागर पशु संरक्षण दयोदय केन्द्र एवं पर्यावरण समिति पटना गंज रहली	42	
49	दयोदय सेवा सदन भोरदहार बैलई तह. गढ़कोटा	52	
50	दयोदय पशु सेवा केन्द्र मण्डी बामोरा तह. बीना जिला सागर	85	
51	दयोदय पशु सेवा केन्द्र मनोरमा वार्ड बीना अटावा तह. बीना	70	
52	श्री राम गौसेवा संघ पटनाखुर्द केसली	48	
53	नारायण गौ संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार सहावन तह. बंडा	42	
54	गौरक्षा सेवा समिति ग्राम राहतगढ़	50	
55	श्री देवजानकी रमण मंदिर ट्रस्ट गौशाला, ग्रा. गौराखुर्द, वि.ख.बंडा	40	
56	श्री साकेत संस्थान, मगरोन पो. खेजरा उद्देत, वि.ख. सागर	39	
57	श्री जागेश्वर धाम गौशाला समिति बांदकपुर तह. दमोह	90	
58	श्री कृष्ण गौशाला समिति ग्राम मुडारी जुझार तह. दमोह	95	
59	वैदमाता गायत्री स्वसहायता गौशाला समिति धनगौर कला तेन्दुखेड़ी	142	
60	आचार्य विद्यासागर दयोदय पशुसेवा केन्द्र तेंदूखेड़ा दमोह	139	
61	श्री राम गौशाला एवं पर्यावरण संवर्धन केन्द्र शा. सजय निकुज के पीछे दो सल्ली रोड श्रीराम मन्दिर दमोह	85	
62	मां. दुर्गा गोसंरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र, ग्रा. निरमुडा, वि.ख.पटैरा, जिला दमोह	98	
63	श्री रामकृष्ण गौशाला समि. ग्राम, घोघरा,पो.मढ़ियादो,त.हटा, जिला दमोह	142	
64	राधारमन गौशाला ग्राम हटरी विकास खण्ड दमोह	97	
65	श्री शिवशंकर दीक्षित दादाजी गौशाला तह.हटा जिला दमोह	141	

66	सिद्धबाबा गौशाला समिति ग्राम घोघरा विकास खण्ड हटा	145	
67	श्री कामधेनू गौशाला समिति, ग्राम—बड़गुआं, तह. जवैरा, जिला दमोह	135	
68	श्री सुदर्शनगौशाला एवं गौवंश संवर्धन केन्द्र ग्रा.शहपुरा माल.त. नरियागढ़, जिला दमोह	122	
69	लक्ष्मीदेवी गौशाला समिति, शीशपुर, अमाना	138	
70	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र जबेरा	135	
71	जानकी गौसंरक्षण पर्यावरण केन्द्र नारायणपुर हटा पो. गजपुरा	152	
72	दयोदय पशुसेवा केन्द्र गौशाला ग्राम व पोस्ट पापौड़ा	140	
73	श्री रामराजा गौशाला गुदरई छारद्वारी मंदिर के पास ओरछा तह. निवाड़ी	230	
74	मनियागढ़ शारदा माता छक्कीलाल गौशाल ग्रा. मनिया पो सकेरा बडारन तह. पृथ्वीपुर	260	
75	गौसंरक्षण एवं पर्यावरण समिति, कंचनपुरा, मोहन गढ़, वि.ख. जतारा	188	
76	सुरभि गौवंश सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान, कनक भवन, ओरछा निवाड़ी	192	
77	श्री गोविन्दहरि गोपाल गौशाला, ग्रा. बारना, पो. बमौरी बारना, वि.ख. जतारा, जिला टीकमगढ़	198	
78	श्री सदगुरुलदेव गौधाम गौशाला समिति, वि.ख. बलदेवगढ़ त. खरगापुर, जि. टीकमगढ़	136	
79	रामकृष्ण गौशाला समिति बम्हौरी बकसवाहा	148	
80	बुन्देलखण्ड गौशाला सेवा समिति नौगांव पता—नौरा पहाड़ी पो. मउसहानिया	162	
81	कामधेनू भारती गोपाल गौशाला रतनगंज विजावर	144	
82	मॉ धंधागिरी गौशाला सेवा समिति बारीगढ़ कार्या कनिक थोक बारीगढ़ तह गौरीघाट	170	
83	नंदिनी गौशाला जागृति युवा समिति ग्राम गुलाट विजावर	182	
84	श्री गोपाल कृषि गौरक्षिणी गौशाला लोक न्यास गल्ला मंडी ग्राम राधेपुर छतरपुर	176	
85	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र गौशाला नौगांव	201	
86	श्री कृष्ण गौशाला समिति कुकरेल हरपालपुर	184	
87	श्री स्वामी परमानंद गौधाम गौशाला ग्राम सिजई तह लौड़ी	190	
88	कन्हैया ग्वाला गौशाला सूरजपुर रमना ग्राम कर्टिया तह. लौड़ी	191	
89	श्री धनुषधारी गौसेवा समिति, ग्राम बंधीकलां	178	
90	दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र एवं पर्यावरण संस्थान गौशाला, श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, डेरा पहाड़ी, वि.ख. इसानगर, छतरपुर	172	
91	श्री गोरेलाल जी कुंज गौ सेवा समिति, ग्राम उटवास वि.ख. बकस्साहा तह. बकस्साहा	189	
92	राधारानी गौशाला सेवा समिति ग्राम, भागवा वि.ख. बड़ामलहरा, धुवारा	202	
93	कामतानाथ गौशाला समिति, ग्राम, मड़का, पो. लुगासी तह. नौगांव	208	

94	श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति ग्राम व तह. पवई	272	
95	श्री राम असहाय जैन चैरिटिबल सोसायटी समिति. ग्राम पंचायत झिन्ना, अजयगढ़	269	
96	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र अजयगढ़ तह अजयगढ़	264	
97	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र गौशाला भैसवाही पो महो तह. गुरनोर	281	
98	सिद्धनाथ गौसेवा सदन, देवगांव जिला पन्ना	238	
99	गढ़ाकोटा	56	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर

अनुलग्नक— द.

मैंने/हमने/ निविदा (टेपडर) की समस्त शर्तें (क्रमांक 1 से 49 तक) को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया है, एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्तें मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूँ। ये भाव पशु आहार संयंत्र सिरौंजा (सागर) से उपरोक्त दर्शायें गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता_____